कायालय मसूरा दहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक : 570 /वाद सं0 आर–0112/एस–5/2023 दिनांक: 9/5/2023

श्री सन्तोष कुमार,
आनन्द नगर लेन न0–1, बालावाला,
निकट लक्ष्मीनारायण मन्दिर, देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 30 गुणा 45 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर प्लिंथ बिम तथा कॉलम का निर्माण किया जा रहा है, स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संषोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एंव स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं0 आर–0112/एस–5/2023 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 21.01.2023 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009, की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर दिनांक 23.01.23 को तामिल कराया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, आप द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.02.2023 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभिन्न तिथियां नियम की गयी जिनमें विपक्षी अनुपस्थित रहे। इसी कम में कार्यालय पत्रांक 3836 दिनांक 09.03.2023 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 16.03.2023 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित हुए एवं अवगत कराया गया कि उनके द्वारा शमन हेतु ऑन लाईन मानचित्र सं0–पी0आर0–8014/22–23 प्रस्तुत किया गया है, किन्तु क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता की आख्यानुसार विपक्षी के निर्माण के विरूद्व बार–2 शिकायतें प्राप्त होने के कारण उक्त स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया, स्थल पर विपक्षी द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य रूकवाये जाने के बाद भी विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य को रोका नही जा रहा है, किन्तु प्रष्नगत स्थल उत्तराखण्ड आवास अनुभाग–2, ई पत्रावली सं0–49477, **HOUS2-MS/1/23/2023-V-2-Awas Department** देहरादून, दिनांक–22, मार्च, 2023 की अधिसूचना में **No Construction Zone** (निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र) घोशित करते हुए उक्त क्षेत्र को फ्रीज जोन घोशित किया गया है एवं निर्माण को सील किये जाने के संस्तुति की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नही है।

अतः चालानशुदा अवैध निर्माण मे सील की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी कम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनधिकृत निर्माण को **सील** किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

–आदेश–

अतः विपक्षी श्री सन्तोष कुमार, आनन्द नगर लेन न0–1, बालावाला, निकट लक्ष्मीनारायण मन्दिर, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर भूतल में लगभग 30 गुणा 45 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर प्लिंथ बिम तथा कॉलम का निर्माण किया जा रहा है, स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संषोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को 28(क) के अन्तर्गत सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध/अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 15/05/2023 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तद्नुसार सूचित हो।

संयुक्त सचिव 9/5/23
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

मददगार,
श्री सन्तोष कुमार का नोटिस लेकर मैं निर्माणी स्थल पर गया। लेकिन निर्माणी स्थल पर कोई न मिलने के कारण नोटिस का चस्पा किया। निर्माणी स्थल की फोटो रीपोर्ट नोटिस के साथ संलग्न है। 11/5/2023